

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या

15/10/2019

प्रवेश तिथि

14-03-2019

निर्णय दिनांक

28-06-2019

1- जसवन्त पुत्र लक्ष्मणदास जाति जाट निवासी ग्राम मंडा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

- 1- चिम्मनलाल पुत्र दीवान चन्द जाति जाट निवासी ग्राम रायसिस नंगला कटोरी वाला तिबारा शमशान घाट के पास अलवर राज0,
- 2- रोशनलाल पुत्र दीवान चन्द जाति जाट निवासी करौली का बास मिलकपुर अलवर राज0
- 3- तिलकराज पुत्र दीवान चन्द जाति जाट निवासी ग्राम मिलकपुर तहसील व जिला अलवर राज0
- 4- दयावन्ती पुत्री दीवान चन्द पत्नी खैरातीलाल जाति जाट निवासी रतिया मार्ग, गली नम्बर 1 संगम विहार, नई दिल्ली 110062
- 5- पुष्पादेवी पुत्री दीवान चन्द पत्नी सोमनाथ जाति जाट निवासी ग्राम भिण्डूसी तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
- 6- लाजवन्ती पुत्री दीवान चन्द पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी गली नम्बर 9 बस्ती गुंजा जालंधर पंजाब
- 7- प्रकाशोदेवी पत्नी फकीर चन्द जाति जाट निवासी गली नम्बर 7 जवाहर कैम्प बस स्टैण्ड के पास लुधियाना पंजाब

—असल प्रतिवादी/अप्रार्थीगण

8- संदीप कुमार पुत्र हिन्दपाल जाति जाट निवासी ग्राम मंडा तहसील तिजारा जिला अलवर

—तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थित:-

01. श्री दिनेश यादव
02. श्री रामसिंह निभोसिंह
03. श्री हवासिंह



—वकील प्रार्थी

—वकील अप्रार्थी नम्बर 7

—वकील अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 6

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 149/18 बअनुवानी संदीप वगै0 बनाम चिम्मनलाल वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी के ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 149/18 बअनुवानी संदीप वगै0 बनाम चिम्मनलाल वगै0 उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन है। जिसमें गत तारीख पेशी दिनांक 12.03.2019 नियत थी जिसमें आगामी तारीख पेशी अभी नियत नहीं की गई है। प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति हैं तथा उन्होंने अपने प्रभाव में पीठासीन अधिकारी को लिया हुआ है, जो प्रतिवादी अप्रार्थीगण का बेजा पक्षपात कर रहे हैं। जिससे प्रतिवादीगण के और भी ज्यादा हौसले बुलंद हो रहे हैं तथा वो अदालत के आदेश से पाबंद होते हुए भी बाज नहीं आ रहे हैं। मिन वादी प्रार्थी ने भी काफी बार प्रतिवादी अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में एक साथ आते जाते देखा है। प्रतिवादीगण ने भी गांव में एलानिया कहा है कि हमने एस0डी0ओ0 साहब से बातचीत कर ली है और अब उक्त प्रकरण का निस्तारण शीघ्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

ही हम हमारे पक्ष में करा कर रहेंगे। पीठासीन अधिकारी महोदय भी उक्त प्रकरण में बहुत ही रूचि दिखा रहें हैं तथा इस संबंध में मिन प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी ने अपना रूख स्पष्ट कर दिया और कहा कि इस मुकदमें में तुम्हारा कोई हित नहीं है इसलिए वे इस प्रकरण का निस्तारण शीघ्र ही प्रतिवादी अप्रार्थीगण के हक में करने वाले हैं। तथा उनके द्वारा पत्रावलियों में नजदीकी तारीख पेशीयां लगाई जा रही है। यदि पीठासीन अधिकारी ने उक्त वाद में फैसला प्रतिवादी अप्रार्थीगण के पक्ष में कर दिया तो मिन प्रार्थी को भारी ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं की जा सकेगी तथा मिन प्रार्थी न्याय से वंचित हो जावेगा और नाहक मुकदमेबाजी बढ़ जावेगी। उक्त मुकदमा किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि मुन्तकिल प्रा0पत्र में प्रार्थी द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी तिजारा से न्याय की उम्मीद नहीं होना जाहिर किया है। जबकि उपखण्ड अधिकारी तिजारा को उक्त प्रा0पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रा0पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नहीं आकर केवल न्यायालय हाजा का समय जाया कर रहे हैं, क्योंकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा पीठासीन अधिकारी को ही विचाराधीन अपील में पक्षकार ही नहीं बनाया, जो कि पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, क्योंकि पीठासीन अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाये जाने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है।

हमने पत्रावली एवं उभय-पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के पीठासीन अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि आर्डर 7 रूल्स 1 के अनुसार न्यायालय से जिसके विरुद्ध राहत प्राप्त की जानी हो उसे आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया जाकर पक्षकार का स्पष्ट नाम व पता अंकित करना चाहिये। सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड न्यायालय तिजारा के पीठासीन अधिकारी श्री खेमराम यादव को विचाराधीन अपील में पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण अपील खारिज करने योग्य है। ऐसी स्थिति में राहत दिया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। प्रार्थी संशोधित प्रा0पत्र पेश करने के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-06-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



moh
28/6/19
(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)